संख्या 6 / ग्रा0वि0उ0 / 2002

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
2. समस्त परियोजना निदेशक,
   डी.आर.डी.ए.
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
   उत्तरांचल.

ग्राम्य विकास एवं उद्यान विभाग: देहरादून: दिनांक: 25 जुलाई, 2002.

विषय: ग्रामीण उत्पाद हेतु उत्तरांचल ग्रामीण शिल्प इम्पोरियम परियोजना का संचालन.

महोदय,

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं में ग्रामीण उत्पादों के विपणन हेतु उत्तरांचल ग्रामीण शिल्प इम्पोरियम योजना भारत सरकार द्वारा रूपये 492.00 लाख की लागत से स्वीकृत की गई है. यह योजना प्रदेश के सभी 13 जनपदों में संचालित की जायेगी. योजना की अवधि 3 वर्ष होगी तथा योजना का क्रियान्वयन पर्वतीय जन कल्याण समिति रानीचौरी, जनपद टिहरी गढ़वाल तथा ग्राम्य विकास विभाग उत्तरांचल के सहयोग से किया जायेगा. योजना के अन्तर्गत 20 ग्रामीण शिल्प केन्द्रों का निर्माण रूपये 10.00 लाख प्रति शिल्प इम्पोरियम की दर से तथा एक केन्द्रीय ग्रामीण शिल्प इम्पोरियम का निर्माण 100.00 लाख की लागत से किया जायेगा. उक्त योजना के वित्त पोषण हेतु भारत सरकार तथा उत्तरांचल सरकार के मध्य 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत का अनुपात होगा.

परियोजना का मुख्य उद्देश्य :

प्रायः यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न दस्तकारों द्वारा भिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, किन्तु यह दस्तकार गरीबी की रेखा के नीचे होने के कारण विपणन हेतु न तो उचित स्थान प्राप्त करते हैं और न ही उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित दाम ही उन्हें प्राप्त हो पाता है. अतः इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि जनपद के अन्तर्गत ऐसे स्थानों को जो विपणन की दृष्टि से उपयुक्त हों अथवा यात्रा मार्ग पर स्थित हो, ऐसे स्थानों पर एक–एक ग्रामीण शिल्प केन्द्रों का निर्माण किया जाये. इन शिल्प केन्द्रों में ग्रामीण दस्तकारों द्वारा निर्मित/स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विपणन सुनिश्चित किया जाये. साथ ही ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत तकनीक एवं डिजायन का प्रशिक्षण भी इस योजना के अन्तर्गत दी जाये. इसके अतिरिक्त शोध एवं विकास कार्य भी योजना अन्तर्गत प्रस्तावित किये गये हैं.

वित्तीय व्यवस्थाः

योजना के अन्तर्गत कुल वित्तीय व्यवस्था 482.00 लाख की गई है, इसका 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में तथा 25 प्रतिशत उत्तरांचल सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में दिया जायेगा. योजना के अन्तर्गत प्रमुख मदों में निम्न प्रकार वित्तीय व्यवस्था की गई है:–

1.	20 ग्रामीण शिल्प केन्द्रों का निर्माण	– 200.00 लाख
2.	एक केन्द्रीय शिल्प केन्द्र का निर्माण	– 100.00 लाख
3.	कार्यशील पूंजी/रिवाल्विंग फण्ड	– 110.00 लाख
4.	प्रशिक्षण, कार्यशाला तथा सेमीनार हेतु	– 18.00 लाख
5.	प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला आदि हेतु	– 10.00 लाख
6.	उत्पादन विकास तथा डिजायन आदि हेतु सुविधायें	– 15.00 लाख
7.	कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण	– 15.00 लाख
8.	शोध एवं विकास	– 6.00 लाख
9.	बेस लाईन सर्वे एवं अध्ययन	– 3.00 लाख

10. संस्थागत आकस्मिक व्यय	5.00 लाख

परियोजना का क्रियान्वयनः

परियोजना का क्रियान्वयन पर्वतीय जन कल्याण समिति रानीचौरी तथा ग्राम्य विकास विभाग उत्तरांचल के सहयोग से किया जायेगा. पर्वतीय

जन कल्याण समिति रानीचौरी द्वारा प्रारम्भ में बेस लाईन सर्वे एवं अध्ययन का कार्य किया जायेगा, जिससे यह ज्ञात हो सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दस्तकारों द्वारा किन–किन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है तथा वर्तमान में उनके विपणन की क्या व्यवस्था है. इस हेतु पर्वतीय जन कल्याण समिति रानीचौरी अन्य जनपदों में कार्यरत ख्याति प्राप्त एवं ग्रास रूट पर कार्य करनेवाली स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता प्राप्त कर सकेगी.

जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा शिल्प केन्द्रों के निर्माण हेतु स्थलों का चयन किया जायेगा तथा चयनित स्थलों की सूची परियोजना प्रबन्धन इकाई, ग्राम्य विकास को उपलब्ध कराई जायेगी। स्थल चयन हेतु निम्न बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा।

1. जहाँ तक हो स्थल विपणन की दृष्टि से उचित हो अर्थात वे शहर अथवा कस्बों के मध्य हो तथा इन शहरों तथा कस्बों में वर्ष के अधिकांश माहों में विपणन हो.
2. स्थल विवादग्रस्त न हो.
3. यथा सम्भव स्थल निःशुल्क उपलब्ध हो.
4. यदि नितान्त आवश्यक हो तो स्थल क्रय भी किया जा सकेगा. किन्तु स्थल का मूल्य प्रचलित बाजार भाव के अनुरूप हो.
5. यात्रा मार्ग पर ऐसे स्थलों का चयन किया जाये जहाँ पर अधिकांश यात्री रुकते हों अथवा विश्राम करते हों.
6. स्थल हेतु भूमि पक्की हो तथा किसी प्रकार की धंसने आदि की स्थिति में न हो.
7. केन्द्रीय शिल्प इम्पोरियम हेतु उत्तरांचल शासन के ग्राम्य विकास विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा.

ग्रामीण शिल्प केन्द्रों का प्रबन्धनः

ग्रामीण शिल्प केन्द्रों के निर्माण के उपरान्त इन ग्रामीण शिल्प केन्द्रों का प्रबन्धन एवं रख–रखाव उस क्षेत्र विशेष में गठित स्वयं सहायता समूहों अथवा स्वयं सहायता समूहों के फेडरेशन के द्वारा किया जायेगा.

निर्माण कार्यः

ग्रामीण निर्मिति केन्द्रों का निर्माण शासन द्वारा निर्धारित तकनीकी एजेंसियों से कराया जायेगा. इस हेतु शासन स्तर पर पृथक से निर्णय लिया जायेगा//मुख्य विकास अधिकारी कृपया ग्रामीण शिल्प इम्पोरियम के निर्माण स्थल का चयन कर सूचना 15 दिन के अन्दर परियोजना प्रबन्धन इकाई, ग्राम्य विकास विभाग उत्तरांचल शासन को उपलब्ध करायेंगे.

भवदीय

(संजीव चोपड़ा)
सचिव

पृष्ठांकन / व.ग्रा.वि. / 2002 तद्दिनांक
प्रतिलिपि– परियोजना समन्वयक, परियोजना प्रबन्धन इकाई.
2. विशेष कार्याधिकारी, पीएमयू.
3. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन.
4. अपर सचिव उद्योग उत्तरांचल शासन.
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी.
6. अपर सचिव, ग्राम्य विकास.

(संजीव चोपड़ा)

सचिव